किसान सहकारी समितियों का गठन महत्व एवं कार्य प्रणाली

डॉ. जी.एल. वागड़ी, एन.डी. यादव, वी.एस. राठौड़,
एन.एस.नाथावत, एम.एल. सोनी
भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर–334004

सहकारी समिति –

सहकारिता का आशय आपस में मिल–जुलकर एक–दूसरे की सहायता करना है। इस प्रकार सहकारी समितियाँ वे संस्थाऐं हैं जो सदस्यों की आपसी सहायता के लिये बनाई जाती है। सहकारिता आन्दोलन मुख्य रूप से गरीबों का आन्दोलन है। निर्धनों की भलाई के लिये इसे चलाया गया है।

सहकारिता आन्दोलन का ध्येय किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु–व्यवसायियों तथा विविध स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जनसाधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए, उनकी पारस्परिक सहयोग पर आधारित सामूहिक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर, उनका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करना, उन्हें उनके श्रम एंव उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, इनके साथ ही उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त वस्तुए उपलब्ध करवाना तथा इसके माध्यम से एक शोषण मुक्त, स्वावलम्बी एवं सशक्त आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था करना है, ताकि राज्य की सर्वतोन्मुखी प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ (सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक) के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं।

औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक तथा सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत में सहकारी आंदोलन की शुरूआत हुई। पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और समाजवादी देश दोनों प्रकार के देशों में सहकारी समितियों ने विशेष स्थान बनाया है।

'सहकारी' शब्द का अर्थ है– साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसे 'सहकारी समिति' कहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है तो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। यह अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती है। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। इसके सभी सदस्य अपने–अपने संसाधनों को एकत्र कर उनका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वो आपस में बांट लेते हैं।

सहकारी समिति, संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से, समानता के आधार पर अपने हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, भेड़–बकरी पालक अपने जानवरों को उचित मूल्य पर बेचने हेतु एक सहकारी समिति बना सकते हैं जिसके माध्यम से वे अपने जानवरों को सीधे तौर

Scanned with CamScanner

पर माँस निर्यातकों से सम्बन्ध रखकर उनको बेच सकते हैं। जिससे बिचोलियों के लाभ का उन्मूलन हो सकता है।

सहकारी समितियों की विशेषताएँ–

स्वैच्छिक संस्था– एक सहकारी समिति व्यक्तियों की एक स्वैच्छिक संस्था है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बना सकता है, जब तक चाहे उसका सदस्य बना रह सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है। सहकारी समिति की सदस्यता समान हितों वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती है। जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं होती, परन्तु किसी विशेष संगठन के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सीमित हो सकती है।

प्रथक वैधानिक इकाई– एक सहकारी उपक्रम को 'सहकारी अधिनियम 1912' अथवा राज्य सरकार के संबंद्ध सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एक सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।

वित्तीय स्रोत– सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा, पंजीकरण के बाद समिति ऋण ले सकती है। सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है।

सेवा उद्देश्य– एक सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है, यद्यपि यह अपने लिए उचित लाभ भी अर्जित करती है। मताधिकार : एक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है चाहे उसके पास कितने ही अंश हो।

सहकारी समितियों के प्रकार–

सहकारी समितियों का वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रवृति के आधार पर किया जा सकता है। सहकारी समितियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है :

उपभोक्ता सहकारी समितियाँ– उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुऐं उपलब्ध करवाती है। ये समितियां आप उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। ये सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीद कर वितरण श्रृंखला से मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती है। इस प्रकार माल की वितरण की प्रक्रिया में मध्यस्थों का लाभ समाप्त हो जाता है और वस्तु कम मूल्य पर सदस्यों को मिल जाती है। कुछ सहकारी समितियों के उदाहरण हैं– केन्द्रीय भंडार, अपना बाजार, सुपर बाजार आदि।

उत्पादक सहकारी समितियाँ– ये समितियाँ छोटे उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा बनाई जाती है, जो अपने माल को स्वयं बेच नहीं सकते। समिति सभी सदस्यों से माल इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व लेती है। अमूल दुग्ध पदार्थों का वितरण करने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ लिमिटेड ऐसी ही सहकारी विपणन समितियाँ है।

सहकारी वित्तीय समितियाँ– इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। समिति सदस्यों से धन इकट्ठा करके जरूरत के समय उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति और शहरी सहकारी बैंक, सहकारी ऋण समिति के उदाहरण हैं।

Scanned with CamScanner

सहकारी सामूहिक आवास समितियाँ– ये आवास समितियाँ अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने हेतु बनाई जाती है। ये समितियाँ भूमि क्रय करके मकानों अथवा फ्लेटों का निर्माण करती है तथा उनका आवंटन अपने सदस्यों को करती है।

भारत में सहकारिता की आवश्यकता–

भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जिनका मुख्य पेशा खेती है। भारत के किसान बड़े गरीब है। वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और महाजनों तथा साहूकारों की दया पर निर्भर रहते हैं। वे महाजनों से कर्ज लिये बिना न तो अपनी खेती का काम ही ठीक से कर पाते हैं और न अतिरिक्त खर्च का भार उठा पाते हैं।

गांव के महाजन और साहुकार इनसे मनमाना ब्याज वसूल करते हैं। एक बार कर्ज में फंस जाने के बाद वे पीढ़ी–दर–पीढ़ी कर्ज नहीं चुका पाते और उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। इस बुराई को दूर करने के लिये तथा निर्धन किसानों की सहायता के लिये आज से लगभग अस्सी वर्ष पूर्व सहकारी ऋण संस्थाओं के रूप में सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था।

उपयोगिता–

मुख्य रूप से कर्ज की व्यवस्था के लिये प्रारम्भ की गई सहकारी संस्थाओं ने आज अनेक रूप ले लिए हैं। देश में अनेक सहकारी संस्थायें है जिनके करोड़ों व्यक्ति सदस्य है। ऋण का प्रबन्ध करने वाली सहकारी संस्थायें अपने सदस्यों को उचित ब्याज पर धन उपलब्ध कराती हैं।

सहकारी विपणन संस्थायें अपने सदस्यों को उचित मूल्यों पर मण्डियों में बेचती हैं, जिससे वे बिचौलिये के शोषण से बच जाते हैं। सहकारी दुग्धशालायें गांवों से दूध इकट्ठा करके शहरों में बेचने का काम करती हैं और सदस्यों को उनके दूध की उचित कीमत दिलाती हैं।

सहकारी भण्डार लोगों को उचित मूल्य पर ठीक किस्म की वस्तु प्रदान करके उनकी बचत करते हैं और व्यापारियों द्वारा मनमानी कीमत वसूलने पर अंकुश लगाती हैं। इसी प्रकार सहकारी आवास समितियां लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराते हैं। आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सहकारी संस्थाऐं अपने सदस्यों के कल्याण में लगी हुई हैं।

लाभ–

सहकारिता आन्दोलन ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन समितियों के सदस्यों के बीच भाईचारे की भावना और मिल–जुलकर काम करने की प्रवृति पैदा होती है और अन्ततः लोगों में सच्चे लोकतंत्र की भावना का संचार होता हैं।

सहकारी विपणन संस्थाओं ने अनेक किसानों को महाजनों और साहूकारों के चँगुल से निकालने में मदद दी है और बिचौलियों के शोषण से रक्षा की है। इन समितियों के द्वारा किसानों में बचत करने और आपस में मिल–जुलकर समस्या का सामना करने की आदत डाली गई हैं।

Scanned with CamScanner

सहकारी खेती–

भारत में बहुत–से किसानों की जोत आवश्यकता से कम है। इतनी कम भूमि पर भली–भांति खेती नहीं की जा सकती। आधुनिक किस्म के यंत्रों तथा उन्नत खेती के साधनों का प्रयोग छोटे–छोटे खेतों में नहीं हो सकता। सहकारी कृषि समितियां इस क्षेत्र में बड़ी उपयोगी हो सकती है। इन संस्थाओं के सभी सदस्य मिल–जुलकर खेती करते हैं और उपज को भूमि के अनुपात से बाँट लेते हैं।

ऐसा करने पर हर किसान को निजी प्रयास से की गई खेती की तुलना में अधिक उपज मिल जाती है। भारत में सहकारी खेती की अभी शुरूआत ही हुई है। इसे बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक दशा में सुधार तो होगा ही, साथ–साथ देश का उत्पादन भी बढ़ेगा।

स्वयं सहायता समूह–

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) आपस में अपनापन रखने वाले एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का समूह है जिसमें समूह के सदस्यों से प्राप्त आमदनी को अपने तरीके से बचत करके उसे एक फंड के रूप में एकत्रित करते हैं और उस फंड को समूह के सदस्यों को उनकी जरूरतों के लिये समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिया जाता है।

स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य–

स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों के साथ औपचारिक प्रणाली के अनुरूप लचीली, संवेदी और समयानुकूल जरूरतमंदों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना, बैंकों और ग्रामीण जनता के बीच आपसी विश्वास का वातावरण बनाना, आदि है। वित्तीय संस्थाएं समाज के जिन वर्गों तक नहीं पहुंच पाती है उन वर्गों में बचत की आदत और ऋण की सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य महिलाओं को बचत करना सीखाना है एवं ऋण लेने के लिए आधार तैयारी करना है। इसके अन्तर्गत आय अर्जित करने की क्रियाओं को समूह में पूर्ण किया जाता है जिससे महिलाओं की निर्णय शक्ति बढ़े तथा वे आर्थिक रूप से सशक्त बने। कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है। कोई भी कार्यक्रम अकेले सम्पन्न नहीं कराया जा सकता है। किन्तु वही कार्यक्रम एक साथ मिलकर करने पर जल्दी एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण होता है। आज के समय में महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। यदि सशक्तिकरण के प्रयास से महिला समूह बनाकर एक साथ मिल–जुलकर अपनी योग्यतानुसार कार्य करें तो उसके सकारात्मक परिणाम आयेंगे। महिला समूह में आपसी सहयोग से क्रियात्मक व कलात्मक कार्य करके वे उससे धन कमाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। दल में वे भ्रमण, गोष्ठी, प्रदर्शनी में भाग लेकर व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा सकती है। स्वयं सहायता समूह द्वारा वे एक साथ आर्थिक, सामाजिक व विकास की गतिविधियों में सक्रिय हो सकती है। समूह में रहकर सूचना, ज्ञान, अनुभव व कौशल में वृद्धि कर सकती है। आपस में सहयोग से पूरे दल को सशक्त बना सकती है।

स्वयं सहायता समूह का गठन–

स्वयं सहायता समूह का गठन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि समूह

Scanned with CamScanner

सफलतापूर्वक चल सके। इस समूह में 10–20 सदस्य होने चाहिए जो परस्पर सहयोग से काम करने वाले होने चाहिए। समूह के सदस्यों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। समूह के सभी सदस्य एक–दूसरे के आर्थिक व सामाजिक स्तर का ध्यान रखते हैं तथा सहमति के आधार पर समूह का नामकरण करते है। समूह में स्त्री तथा पुरुष साथ या अलग–अलग भी हो सकते हैं। यह समूह समय–समय पर सामाजिक बुराईयों का समाधान करता है। बैंक खाता समूह के नाम पर खोला जाता है एवं बचत राशि सभी सदस्यों में बराबर रूप से मिलती है। स्वयं सहायता समूह में सर्व सहमति से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष चुना जाता है जिसका कार्यकाल भी निर्धारित होता है। समय–समय पर समूह की बैठक होती रहती है जिसमें तय किया जाता है कि ऋण न लौटाने वाले पर उचित कार्यवाही की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर समूह द्वारा आकस्मिक बैठक बुलाने का भी प्रावधान होता है। समूह में ज्यादा बचत राशि होने पर बैंक, डाकघर में जमा कराया जाता है। यदि समूह कोई भी व्यवसाय करना चाहता है तो उसे ऋण मिल जाता है। समूह एक रजिस्टर रखता है जिसमें आय तथा व्यय का विवरण रखा जाता है। महिला दल खाली समय में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान से क्रियात्मक व कलात्मक सामान तैयार करके उसे मेले व बाजार में बेचती है, जिससे आय होती है।

स्वयं सहायता समूह से लाभ–

व्यक्ति, समाज एवं देश के विकास के लिए धन एक आवश्यक साधन है जिसकी पूर्ति व्यक्ति अपने बचत के द्वारा एवं अन्य स्त्रोत जैसे बैंक, कॉपरेटिव सोसायटी इत्यादि के द्वारा करता है। बैंक एवं अन्य ऋण के स्त्रोतों से ऋण लेना व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए और भी समस्या बनी रहती है। आवश्यकतानुसार ऋण की उपलब्धता के लिए स्वयं सहायता समूह कारगर साबित होते हैं। समूह बनाने से बैंक में साख बनती है जिससे उन्हें आसानी से ऋण मिलता रहता है। इस कारण महिलाओं में निर्णय क्षमता व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है। समाज में उनकी साख बढ़ती है साथ ही उन्हें काम के लिये दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ता जिससे गांव पलायन की समस्या से निजात मिलती है। समय पर धन की उपलब्धता से महिलाओं के अपने रहन–सहन एवं जीवन स्तर में सुधार होता है साथ ही वे अपने बच्चों की शिक्षा एवं परवरिश एक अच्छे ढ़ंग से कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक, कॉपरेटिव सोसायटी व अन्य सोसायटी से भी आसानी से ऋण मिल जाता है। समूह के लाभ को देखकर समाज की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है जिससे एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण होता है।

❐❐❐

Scanned with CamScanner